डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

7.8.19 — अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से श्री भवानीसिंह अधिवक्ता उपस्थित। पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अधिवक्ता अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती हैं। इस कारण से वे उपस्थित नहीं हो सकते हैं अतः पेशी आगे दी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित हैं। अतः उचित कारण के होने से पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4-9.19 को पेश हो।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4.9.19 — पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं रेस्पो. अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट अधि. द्वारा बहस की गई। रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा मुख्य कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जो तहसीलदार (भू.अ.) जालोर के द्वारा दिनांक 6.6.2018 को राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत प्रस्तुत हुए वसीयत प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय

लगातार...2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
4.9.19 लगातार	नहीं है एवं न्यायालय इस के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है क्योंकि तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। एवं जिला कलेक्टर उक्त प्रथम अपील धारा 75(1) के तहत सुनवाई हेतु अधिकृत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह उक्त अपील को जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपील को उन्हें लौटा दिया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रस्तुत अपील को क्षेत्राधिकार के अभाव में सक्षम स्तर पर पेश करने हेतु अपीलार्थी को लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे। डिविजनल कमिश्नर जोधपुर	